न्यायालय जिला कलक्टर, बाड़मेर

पीठासीन अधिकारी : अरूण कुमार पुरोहित, आई0ए0एस0

विविध रसद प्रकरण सं. 02 / 2023

प्रार्थी–
राजस्थान सरकार जरिये श्री सुरेश विश्नोई, प्रवर्तन निरीक्षक, बाड़मेर

बनाम

अप्रार्थी–
श्री गोरधन लाल पुत्र श्री पूरणमल, जाति छीपा, निवासी रॉय कोलोनी, बाड़मेर शहर।

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 6ए आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955

उपस्थिति :–
1. अभियोजन अधिकारी प्रार्थी की ओर से उपस्थित।
2. अप्रार्थी स्वंय उपस्थित।

आदेश

दिनांक : 26.07.2023

1. प्रार्थी की ओर से यह प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 6ए आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955 के तहत अप्रार्थी के विरूद्ध प्रस्तुत किया गया है। प्रस्तुत प्रार्थना पत्र के संक्षिप्त तथ्य यह है कि दिनांक 19.12.2022 को श्री सुरेश विश्नोई प्रवर्तन निरीक्षक, बाड़मेर, श्री खेमाराम प्रवर्तन निरीक्षक, बालोतरा, एवं श्री दीपक कुल्हार, प्रवर्तन निरीक्षक के साथ प्रार्थी स्वंय ने मौतबिरान के रूबरू अप्रार्थी के व्यवसायिक प्रतिष्ठान मैसर्स कमल नाश्ता कॉर्नर, अहिंसा सर्किल के पास, बाड़मेर शहर के परिसर पर जांच करने पहुंचे, जहां मौके पर दुकान मालिक अप्रार्थी श्री गोरधन लाल उपस्थित मिला। उक्त दुकान मे पाव भाजी बनाकर ग्राहकों को विक्रय किया जा रहा था। इस दुकान की जांच की तो एक घरेलु गैस सिलेण्डर का व्यवसायिक उपयोग हेतु प्रयोग मे लेना पाया गया। उक्त गैस सिलेण्डर (आईओसीएल) मार्क का पाया गया, जिसका ब्यौरा निम्न प्रकार दिया गया है–

क्र. सं.	गैस सिलेण्डर न.	गैस कम्पनी का नाम	सिलेण्डर का कुल वजन	खाली सिलेण्डर का वजन	सिलेण्डर मे भरी हुई गैस का वजन
1.	391055	**IOCL**	19.800 Kg	15.900 Kg	03.900 Kg

मौके पर उक्त दुकान मे पाये गये घरेलु उपयोग के एक गैस सिलेण्डर का व्यवसायिक उपयोग किये जाने एवं संग्रह करने पर उक्त गैस सिलेण्डर को

न्यायालय जिला कलक्टर बाड़मेर (राजस्थान)

2

जिला कलक्टर
बाड़मेर

जब्त सरकार किया गया। जब्तशुदा गैस सिलेण्डर को मैसर्स बाड़मेर गैस एजेन्सी के मैनेजर श्री गौतमचन्द बोथरा पुत्र श्री पारसमल जाति जैन निवासी जैन न्याति नोहरा को सुपुर्दनामा पर सुपुर्द किया गया। अप्रार्थी द्वारा अनाधिकृत रूप से घरेलु गैस सिलेण्डर का व्यवसायिक उपयोग हेतु संग्रह कर द्रवीकृत पेट्रोलियम गैस (प्रदाय और वितरण विनियमन) आदेश 2000 के खण्ड 3 के 1(सी) व 7(सी) का उल्लंघन किया गया है जो आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955 की धारा 3/7 के तहत दण्डनीय अपराध है। अतः यह प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर आवश्यक वस्तु अधिनियम की धारा 6ए के तहत उपरोक्त सीजशुदा घरेलु गैस सिलेण्डर मय गैस राजसात करने का आदेश फरमाया जावें।

2. प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर कर अप्रार्थी को जरिये पंजिबद्ध डाक द्वारा नोटिस जारी किया गया । अप्रार्थी की ओर से मौखिक में प्रस्तुत किया कि यह घरेलू सिलेण्डर खाली था जो घरेलु उपयोग हेतु भरवाने के लिए दुकान पर रखा था।

3. हमने पत्रावली का अवलोकन किया तथा प्रार्थी एवं अप्रार्थी पक्ष को सुना। प्रार्थी की ओर से अभियोजन अधिकारी ने प्रकट किया कि अप्रार्थी के व्यवसायिक प्रतिष्ठान पर घरेलु गैस सिलेण्डर का व्यवसायिक उपयोग लेते हुए पाये जाने पर उक्त सिलेण्डर मौतबिरान के रूबरू सीज किये गये है जो वर्तमान मे गैस कम्पनी के स्थानीय वितरक मैसर्स बाड़मेर गैस एजेन्सी को सुपुर्दगी पर दिये गये है। अप्रार्थी द्वारा द्रवीकृत पेट्रोलियम गैस (प्रदाय और वितरण विनियमन) आदेश 200 के खण्ड 3 के 1(सी) व 7(सी) का उल्लंघन किया गया है जो आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955 की धारा 3/7 के तहत दण्डनीय अपराध है। अप्रार्थी की ओर से मौखिक जवाब प्रस्तुत किया कि यह घरेलू सिलेण्डर खाली था जो घरेलु उपयोग हेतु भरवाने के लिए दुकान पर रखा था। प्रार्थी के द्वारा प्रस्तुत इस्तगासा एवं संलग्न दस्तावेजात का अवलोकन किया गया जिससे पाया जाता है कि प्रार्थी ने प्रार्थना –पत्र के संलग्न मौका जांच रिपोर्ट में जांच स्थल पर अप्रार्थी द्वारा ग्राहको को पाव भाजी बनाकर विक्रय किया जाना पाया गया था, तथा उक्त घरेलू सिलेण्डर का उपयोग किये जाने का उल्लेख नहीं किया गया है। प्रार्थी द्वारा मौका नजरी नक्शा में लैण्ड मार्क स्थल नहीं दर्शाया गया है, तथा मौके पर जॉच सिलेण्डर में वास्तविक गैस का वजन 3.9100 किग्रा बताया गया है, जो कि सिलेण्डर लगभग खाली ही है। लिहाजा उक्त सिलेण्डर का व्यावसायिक प्रयोग स्पष्ट नहीं होता है। इसके अलावा प्रार्थी द्वारा प्रकरण में धारा 3/7 आवश्यक वस्तु अधिनियम का उल्लंघन होना प्रकट किया हैं जबकि इस आशय का कोई आपराधिक प्रकरण दर्ज करवाने

न्यायालय जिला कलक्टर बाड़मेर (राजस्थान)

जिला कलक्टर
बाड़मेर

का भी कोई साक्ष्य अभिलेख पर नहीं हैं। इस प्रकार प्रस्तुत इस्तगासे में ऐसा ठोस साक्ष्य प्रस्तुत नहीं पाया गया तथा मौका फर्द प्रर्फोमा में तैयार की है जबकि मौका फर्द वास्तविक स्थिति अनुसार तैयार की जानी चाहिए। ऐसे मे आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955 की धारा 3 के प्रावधानों विपरित एवं धारा 7 के अधीन दण्डनीय कृत्य के अभाव में सीजशुदा सामग्री उपरोक्त विवरण के घरेलु गैस सिलेण्डर मय गैस राजसात किये जाने का समुचित आधार मौजूद नहीं है।

4. अतः उपर्युक्त तथ्यों एवं परिस्थितियों पर विवेचन एवं विश्लेषण के परिणामस्वरूप प्रार्थी का यह प्रार्थना पत्र खारिज किया जाकर जिला रसद अधिकारी बाड़मेर को निर्देशित किया जाता है कि उक्त प्रकरण में जब्तशुदा घरेलु गैस सिलेण्डर मय द्रविकृत गैस को पुनः अप्रार्थी को सुपुर्द करें। इस आदेश की प्रति जिला रसद अधिकारी, बाड़मेर को सूचनार्थ एवं पालना हेतु प्रेषित हो।

5. आदेश आज दिनांक 26.07.2023 को खुले न्यायालय मे सुनाया गया।

(अरुण कुमार पुरोहित)
जिला कलक्टर, बाड़मेर